

(1).



UPRN010039382026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(14 वाँ वित्त आयोग),
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।

जमानत प्रार्थनापत्र सं०-1525/2026

आकाश पुत्र रामगोपाल दुबे उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी ग्राम मुहपोछा, थाना-शिवराजपुर, जिला-
कानपुर नगर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०-20/2026

धारा-331(4), 305, 317(2) बी०एन०एस०।

थाना-चौबेपुर, जिला-कानपुर नगर।

दिनांक-17.07.2026

आवेदक/अभियुक्त आकाश की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं० -20/2026, अन्तर्गत धारा-331(4), 305, 317(2) बी०एन०एस०, थाना-चौबेपुर, जिला-कानपुर नगर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो रमेशचन्द्र बाजपेयी पुत्र करुणा शंकर बाजपेयी के शपथपत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक-16.01.2026 को समय 00:00 बजे, स्थान वादी की ज्वैलर्स की दुकान बैलाही बाजार कस्बा व थाना चौबेपुर, जिला-कानपुर नगर में वादी मुकदमा रमेश वर्मा पुत्र मुंशीलाल वर्मा ग्राम रौतापुर कलां, थाना-चौबेपुर, जिला-कानपुर नगर का निवासी है। उसकी कान्हा ज्वैलर्स के नाम से दुकान बैलाही बाजार के बगल से सड़क के किनारे कस्बा चौबेपुर में है। दिनांक-16/17.01.2026 की रात अज्ञात चोर दुकान के पीछे दिवाल काटकर दुकान का डिवीआर तथा सोने के जेवरात कीमत करीब एक लाख पचास हजार रुपये के रैक के अन्दर से चोरी कर ले गये। लॉकर तोड़ने का प्रयास किया गया परन्तु लॉकर नहीं तोड़ पाये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा पुलिस द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुयी है बल्कि पुलिस द्वारा स्वयं संस्वीकृति के आधार पर आठ सौ रुपये चोरी के होना कहा गया है जबकि आठ सौ रुपये स्वयं अभियुक्त के ही हैं। प्रस्तुत मुकदमा अज्ञात चोरों के बारे में अंकित कराया गया है किन्तु दिनांक-02.05.2026 को मु०अ०सं०-138/2026 आर्म्स एक्ट में झूठी गिरफ्तारी दिखाकर प्रस्तुत मुकदमा में अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त की मु०अ०सं०-138/2026 थाना-चौबेपुर में जमानत हो गयी है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और न ही रुपया बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र साक्षी बनाया गया है। सहअभियुक्तों की जमानत प्रस्तुत मुकदमा अपराध में हो चुकी है। प्रस्तुत मुकदमा के साथ पाँच अन्य अज्ञात में दर्ज मुकदमों में भी शामिल कर दिया गया है जो सभी मुकदमों थाना चौबेपुर से संबंधित है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा किसी न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने पर जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

सम्बन्धित थाने से जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में प्रस्तरवार आख्या प्राप्त नहीं है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत

क्रमशः पेज सं०-2 पर

(2).

प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात चोर के विरुद्ध धारा-331(4), 305 बी०एन०एस० के अन्तर्गत पंजीकृत करायी गयी है। दौरान विवेचना अभियुक्त आकाश का नाम प्रकाश में आया है। प्रस्तुत मामले से संबंधित माल को विक्रय करने के उपरान्त अभियुक्त के हिस्से में आयी धनराशि में से उसके कब्जे से आठ सौ रुपये बरामद होना पाया जाता है। संबंधित थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित-14.07.2026 के अनुसार अभियुक्त आकाश के विरुद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त थाना-चौबेपुर में मु०अ०सं०-67/2026 धारा-331(4), 305, 317(2), 317(4), 317(5), 112(2) बी०एन०एस०, मु०अ०सं०-74/2026 धारा-331(4), 305, 324(4), 317(2), 317(4), 317(5), 112(2) बी०एन०एस०, मु०अ०सं०-367/2025 धारा-309(4), 115(2), 317(2) बी०एन० एस० एवं मु०अ०सं०-138/2026 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के मुकदमें पंजीकृत होना पाये जाते हैं, जो सन् 2025 व 2026 के हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के किसी मामले में दोषसिद्धि के संबंध में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक-03.05.2026 से जिला कारागार कानपुर देहात में निरुद्ध है। प्रस्तुत मामले में जरिये आरोप-पत्र विवेचना समाप्त की जा चुकी है तथा अभियुक्त के विरुद्ध धारा-331(4), 305, 317(2) बी०एन०एस० के तहत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस मत की है कि मुकदमें के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त आकाश की ओर से मु०अ०सं०-20/2026, अन्तर्गत धारा-331(4), 305, 317(2) बी०एन०एस०, थाना-चौबेपुर, जिला-कानपुर नगर के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु०-50,000/-रु०(पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर एवं निम्न आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उसे दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये:-

- (1). कि वह विचारण में न्यायालय का सहयोग करेगा। आरोप विरचित किये जाने के समय, धारा-313 के बयान अंकित करने की तिथि एवं निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि न्यायालय किसी भी स्तर पर यह पाता है कि अभियुक्त जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित हो रहा है तो उस स्थिति में न्यायालय जमानत के व्यतिक्रम का मामला मानते हुये उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगा।
- (2). कि वह प्रत्येक नियत तिथि को स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
- (3). कि वह किसी साक्षी को डरायेगा व धमकायेगा नहीं और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करेगा।
- (4). कि वह जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

दिनांक-17.07.2026

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(14 वाँ वित्त आयोग)
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।